



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-06042026-271586
CG-TL-E-06042026-271586

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1674]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 6, 2026/ चैत्र 16, 1948

No. 1674]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 6, 2026/ CHAITRA 16, 1948

रेल मंत्रालय
(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 1 अप्रैल, 2026

का.आ. 1741(अ).— केंद्र सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24), की धारा 20ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii), (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है), तारीख 21 अक्टूबर 2025 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) में, का. आ. संख्या 4856 (अ), तारीख 21 अक्टूबर 2025 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिनियम से उपावध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, महाराष्ट्र राज्य के परभणी जिले में विशेष रेलवे परियोजना अर्थात् “परली – परभणी दोहरिकरण परियोजना” के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए आपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20ए की उपधारा (4) के अंतर्गत दैनिक समाचारपत्रों, अर्थात् “लोकमत”, “लोकमत टाइम्स” और “दैनिक भास्कर” में तारीख 29 नवंबर 2025 को प्रकाशित किया गया था;

और, पोरवड तथा सिंगनापुर गांव में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा तदनुसार आदेश पारित कर दिये गए हैं;

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने इसकी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20 ई की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है की इससे उपाबध्द अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और यह कि केंद्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करता है कि आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबध्द अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमो से मुक्त होकर केंद्र सरकार में आत्यांकित रूपसे निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के परभणी जिले के पोरवड तथा सिंगनापुर गांव मे उप. विभागीय अधिकारी और भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी, परभणी के अधीन भूमि अधिग्रहण हेतु, "परळी - परभणी दुहेरीकरण" परियोजना.

महाराष्ट्र राज्य में विशेष रेलवे परियोजना " परळी - परभणी दुहेरीकरण परियोजना" के अंतर्गत अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संरचनओं सहित या ऊनके रहित संक्षिप्त विवरण।

क्र. सं.	भूमि अधिग्रहण मामला सं.	7/12अनुसार भूमिधारक का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि धारणा प्रणाली क्षेत्र	7/अनुसार 12 कुल क्षेत्र हेक्टर में	अधिग्रहण क्षेत्र हेक्टर में	संपत्ति			अभ्युक्ति
							कुआं/बोर	निर्माण	वृक्ष	
गाँव परभणी :पोरवड				तालुका और जिला :						
1		मुंजाजी दत्तराव आन्हाड	271	1	4.52	0.08	-	-	-	-
		मुक्तिराम दत्तराव आन्हाड		1	4.52	0.18	-	-	-	-
2	जा. क्र. 2024/भूसंपादन रिल्वे/दु/कावी-363	मनोहर संभाजी पांचाळ, दत्ता पंडितराव रत्नपारखी सामाईक क्षेत्र	267	1	4.81	0.52	1 बोर, 1 पानी का हौद, पाईप लाइन	1 ईमारत	2, रामफल 11 इमली, 2 आम, 1 नींबू, 2, जांभूळ 2 सहजन	-
3		चंद्रकांत गोविंदराव झरकर, रमाकांत गोविंदराव झरकरलक्ष्मीकांत, गोविंदराव झरकर,	265	1	9.09	1.22	-	-	-	-
					कुल	2.00				
गाँवपरभणी :सिंगनापुर				तालुका और जिला :						
1	जा. क्र.	रंगनाथ बन्सीधर कदम	439	1	8.28	00.05	-	-	-	-

	2024/भूसंपादन रिल्वे/दु/कावी- 363	बन्सी कदम				00.13	-	-	-	-
2		सुरेखा मुरलीधर खुपसे	461	1	3.78	00.04	-	-	-	-
		शैलेश ज्ञानोबा गव्हाणे				00.03	-	-	-	-
3	राम ज्ञानोबा कदम	463	1	7.21	00.04	-	-	-	-	
	महबूब खान अब्बास खान व इतर 4, 7/प्रमाणे 12 समार्ईक				00.05	-	-	-	-	
4	शांताबाई क्षीरसागर	464	1	5.13	00.02	1 बोर,	-	-	2वृक्ष	-
	रामकिसन लक्ष्मण देशमाने				00.01	-	-	-	-	
	शांताबाई क्षीरसागर				00.04	-	-	-	-	
5		विश्वंभर बाबुराव ढेंगळे	469	1	1.21	00.06	-	-	-	-
6		मोतिराम सीताराम	557	1	6.89	00.03	-	-	-	-
7		शिवाजी सीताराम	557	1	6.89	00.02	-	-	-	-
					कुल	00.52				

[फा .सं .W.Con.182/SRP-07/PBN-PRLI/23-24/250/20E/010426]

मोहित वर्मा, मुख्य इंजीनियर/निर्माण-V

MINISTRY OF RAILWAYS

(South Central Railway)

NOTIFICATION

Secunderabad, the 1st April, 2026

S.O. 1739(E).—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O 4856 (E) dated the 21 October 2025 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3 Sub-section(ii), dated the 21 October 2025 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20(A) of the Railway Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely “**Parli – Parbhani Doubling project**” in the District of Parbhani in the State of Maharashtra.

And whereas, the substance of the said notification was published in daily News Paper " Lokmat " "Lokmat Times"&"Dainik Bhaskar" dated 29 November 2025, under sub section (4) of section 20A of the said Act,

And whereas, in Porwad and Singapur villages no objections were received and accordingly orders have been passed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20(E). of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central government free from all encumbrances.

SCHEDULE

“Parli – Parbhani Doubling Project” in Porwad and Singnapur Villages of Parbhani District, Under Sub-Divisional Officer & Land Acquisition officer Parbhani and Competent Authority for Land Acquisition, Parbhani; for Land Acquisition in the state of Maharashtra.

Brief description of the land to be acquired with or without structures, falling within the Special Railway Project “Parli – Parbhani Doubling project ”in the State of Maharashtra.

S. No.	Land Acquisition Case No.	As Per 7/12 Land holder's name	Survey No.	Land holding method	Total Area as per 7/12 (H.R)	Acquisition Area (H.R)	ASSETS			Remark
							Well, /Bore	Constructions	Trees	
Village: Porwad							Taluka & District: Parbhani			
1	O.No.2024/LA/RLY/ D/KV-363	Munjaji Dattarao Avhada	271	1	4.52	0.08	-	-	-	-
		Muktiram Dattarao Avhada		1	4.52	0.18	-	-	-	-
2	O.No.2024/LA/RLY/ D/KV-363	Manohar Sambhaji Panchal, Datta Panditrao Ratnaparkhi, Common Area	267	1	4.81	0.52	1 Bore, 1 Water tank, pipeline	1 Building	2 Ramphal, 11 Tamarind, 2 Mango, 1 Lemon, 2 Jamun, 2 Drumstick tree	-
3		Chandrakant Govindrao Jharkar, Ramakant Govindrao Jharkar, Laxmikant Govindrao Jharkar,	265	1	9.09	1.22	-	-	-	-
						Total	2.00			
Village: Singnapur							Taluka & District: Parbhani			
1	O.No.2024/LA/RLY/ D/KV-363o	Ranganath Bansidhar Kadam	439	1	8.28	00.05	-	-	-	-
		Bansi Kadam				00.13	-	-	-	-
2	O.No.2024/LA/RLY/ D/KV-363o	Surekha Murlidhar Khupse	461	1	3.78	00.04	-	-	-	-
		Shailesh Dnyanoba Gavhane				00.03	-	-	-	-
3	O.No.2024/LA/RLY/ D/KV-363o	Ram Dnyanoba Kadam	463	1	7.21	00.04	-	-	-	-
		Mahboob Khan				00.05	-	-	-	-

		Abbas Khan and others 4, as per 7/12 common								
4		Shantabai Kshirsagar	464	1	5.13	00.02	1 Bore,	-	2Trees	-
		Ramkisan Laxman Deshmane				00.01	-	-	-	-
		Shantabai Kshirsagar				00.04	-	-	-	-
5		Vishwambhar Baburao Dhengale	469	1	1.21	00.06	-	-	-	-
6		Motiram Sitaram	557	1	6.89	00.03	-	-	-	-
7		Shivaji Sitaram	557	1	6.89	00.02	-	-	-	-
					Total	00.52				

[F. No. W.Con.182/SRP-07/PBN-PRLI/23-24/250/20E/010426]
MOHIT VERMA, Chief Engineer/Con-V